आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2019 ;1द्ध

राजबीर सेहरावत के समक्ष

नवीन कुमार याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य उत्तरदाता 2018 का सी.एम.एम. छवण 62048 ;ओ.एंडएम.द्ध

14 जनवरी 2019ण

दंड परक्रिया संहिता 1973 धारा 438 उपयकत मंत्र उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय को समवर्ती रूप से अग्रिम जमानत देने की षक्ति हालांकि किसी विषेश या सम्मोहक कारण आवेदन के अभाव में पहली बार में, सत्र न्यायालय के समक्ष स्थानांतरित किया जाना चाहिए उच्च न्यायालय द्वारा जमानत से इंकार करने पर सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत मांगने का मूल्यवान अधिकार खो जाएगा।

अग्रिम जमानत धारा 438 गिरफ्तारी पूर्व जमानत के परावधान मौलिक अधिकार नही हैं परावधान केवल अभियुक्त को उपचार प्रदान करने और अदालतों द्वारा तय किए जाने के लिए स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा छोड देते हैं।

माना कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक नागरिक के रूप में अभियुक्त को जीवन और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है हालांकि जीवन और स्वतंत्रता के उस अधिकार को कानून द्वारा स्थापित परक्रिया के अनुसार बहुत अच्छी तरह से कम किया जा सकता है। आपराधिक न्याय प्रषासन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अभियुक्त के जीवन और स्वतंत्रता को कम करने के लिए सामान्य परक्रिया ब्तण्च्ण्ब्ण निर्धारित करती है कि जांच अधिकारी किसी अभियुक्त को वारंट के बिना और अदालत की सहायताध्हस्तक्षेप के बिना भी गिरफ्तार कर सकता है। हालांकि यह सुनिष्चित करने के लिए कि किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से परेषान नहीं किया जाता है, कम से कम उन मामलों में, जहां परिस्थितियां मुख्य रूप से अभियुक्त की पूर्व दृश्टि निर्दोशता की और ले जा रही है, न्यायालयों को धारा 438 ब्तण्च्ण्ब्ण के तहत विषेश और असाधारण षक्ति दी गई है। गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की यह वैधानिक षक्ति इतनी असाधारण है कि यह देष के सभी हिस्सों में भी उपलब्ध नहीं है और यहां तक की पूरे देष में विषेश कानूनों के तहत कुछ अपराध होते है इसलिए अग्रिम जमानत पाने का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। धारा 438 ब्तण्च्ण्ब्ण का प्रावधान अभियुक्त को केवल एक उपाय प्रदान करता है और स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा को न्यायालय द्वारा तय करने के लिए छोड देता है।

पैरा नम्बर 13 आगे अभिनिर्धारित किया कि इसके विपरीत यह न्यायालय षिकायतकर्ता के वकील द्वारा उद्धत निर्णयों के साथ खुद को सहमत पाता है जो इन सभी निर्णयों के माध्यम से एक सामान्य लकीर चल रहा है लेकिन कुछ विषेश अक्षम करने वालों कारणों से।

क्षेत्राधिकार में, अभियुक्त को पहली बार न्यायालय जाना चाहिए। षिकायतकर्ता के वकील द्वारा भरोसा किए गए इन सभी फैसलों में स्पश्ट रूप से कहा गया है कि जब तक कोई असाधारण या असाधारण परिस्थिति नहीं होती है जो आरोपी को अग्रिम जमानत लेने के लिऐ सीधे उच्च न्यायालय में जाने के लिए मजबूर करती है, तब तक उसे सत्र न्यायाधीष के न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। यह न्यायालय इन निर्णयों को न्यायालयों के पदानुकरम का सम्मान करने के न्यायिक औचित्य के अनुरूप पाता है। धारा 438 किसी व्यक्ति को कोई मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करती है। यह केवल अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने के लिए अपने मामले पर विचार करने के लिए इस धारा में दिए गए न्यायालयों से बाहर जाने के लिए उपचार प्रदान करने के परावधान को सक्षम कर रहा है। हालांकि उसे किसी विषेश न्यायालय से गुण–दोश के आधार पर

आदेष मांगने का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है। इसलिए यदि स्वंय निर्णय लेने के बजाय, उच्च न्यायालय अभियुक्त से पहले सत्र न्यायालय जाने की अपेक्षा करता है तो याचिकाकर्ता के किसी भी अकिार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत यदि उच्च न्यायालय स्वंय मामले पर विचार करता है और अभियुक्त की अग्रिम जमानत को अस्वीकार करने का निर्णय लेता है तो वह अभियुक्त को कानूनी मंच से संपर्क करने के लिए एक अतिरिक्त अवसर से वंचित कर देगा, जो उसे उच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध होता, यदि वह पहले सत्र न्यायालय जाता।

;पैरा 22द्ध

मुनीश देव षर्मा, एएजी, हरियाणा।

विवेक गोयल, अधिवक्ता

षिकायतकर्ता के लिए

राजबीर सहरावत, जे. ओरल

(1) ब्तण्च्ब्ण की धारा 438 के तहत दायर इस याचिका में प्रार्थना आई.पी.सी. की धारा 406, 420, 506 के तहत अग्रिम जमानत देने के लिए है, जो पुलिस स्टेषन निस्सिंग, करनाल में दर्ज है।

(2) तथ्य, जिन्होंने वर्तमान एफ.आई.आर. को जन्म दिया है, वे है कि एक षिकायतकर्ता राजेष कुमार ने इस आरोप के साथ पुलिस से संपर्क किया कि वह कमीषन एजेंट का व्यवसाय कर रहा था। कारोबार के सामान्य करम में आरोपी ने अपनी फर्म से धान खरीदा था। हालांकि इसके बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा पक्षों के बीच सहमति के अनुसार भुगतान नहीं किया गया। इस प्रक्रिया में षिकायतकर्ता को 1,12,87,500 रूपये का नुकसान हुआ है। हालांकि इन व्यापक आरोपों के आधार पर अभी तक आरोपों का अधिक विवरण है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज की गई है।

(3) आगे की कार्यवाही से पहले, यह ध्यान रखना उचित है कि वर्तमान याचिका धारा 438 ब्तण्च्ण्ब् के तहत सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई है, पहले संबंधित सत्र न्यायाधीष के न्यायालय से संपर्क किए बिना।

(4) अदालत में मौजूद षिकायतकर्ता के विद्धान वकील ने आपत्ति जताई है कि जब तक याचिकाकर्ता द्वारा सत्र न्यायाधीष के न्यायालय को बायपास करने के लिए कुछ विषिश्ट और सम्मोहक कारणों का खुलासा नहीं किया जाता, तब तक वह

अग्रिम जमानत के लिए सीधे उच्च न्यायालय का रूख नहीं कर सकता था। इसके अलावा, यह तर्क दिया जाता है कि भले ही उन्होंने सीधे इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया हो, फिर भी यह न्यायालय समक्ष अधीनस्थ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को दरकिनार करते हुए मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। षिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसलों पर भरोसा किया है।
जसबीर सिंह सोढी बनाम यू.ओ.आई. और एक अन्य 1, सी. पी. योगेष्वर और अन्य बनाम गंभीर धोखाधडी जांच अधिकारी दिल्ली में कर्नाटक उच्च न्यायालय 1, दिल्ली 2, सत्य देव राजपुरोहित में राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य बनाम राजस्थान राजस्थान और अन्य।

(5) मामले के गुण–दोश पर आगे की कार्यवाही से पहले, याचिकाकर्ता के वकील से सवाल किया गया था कि उसने संबंधित क्षेत्र के सतर न्यायालय का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया है, और इसके बजाय, उसने उसी राहत के लिए सीधे इस न्यायालय का दरवाजा क्यों खटखटाया है जिसके लिए सत्र न्यायालय देने के लिए सक्षम था।

(6) इस न्यायालय द्वारा पूछ गये प्रष्न के उत्तर के रूप में, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि सत्र

न्यायालय का रूख नहीं करने का कारण यह है कि याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेष का है, जबकि मामला हरियाणा राज्य में दर्ज किा गया है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के परिवार के सभी पुरूश सदस्यों को इस मामले में आरोपी बनया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता के मामले की देखभाल करने के लिए परिवार में कोई नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया जताा है कि यदि वह धारा 438 ब्तण्च्ब्ण् के तहत भरने के लिए सत्र न्यायालय के समक्ष पेष होता है तो उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो पहले से ही षिकायतकर्ता के साथ मिलीभगत में है।

(7) इसके अलावा, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि निर्णय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी षामिल है कि चूंकि धारा 438 ब्तण्च्ब्ण् के तहत परदत्त षक्ति समवर्ती षक्ति है, इसलिए याचिकाकर्ता 1,

2010 आर.सी.आर. ;कर.द्ध 523

2, 2013 ;15द्ध आर.सी.आर. ;कर.द्ध 929

3 2002;2द्ध तंर ब्तपण ब्ण 604 नवीन कुमार बनाम हरियाणा राज्य

;राजबीर सहरावत, जे.द्ध

उपचार के लिए स्थान चुनने का कानूनी अधिकार है। इसलिए यदि उसने उसी राहत के लिए सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसके लिए स्तर न्यायालय का समवर्ती अधिकार क्षेत्र था, तो याचिकाकर्ता को सत्र न्यायालय में वापिस जाने के लिए नहीं कहा जा सकता है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि एक बार जब यह न्यायालय मामले को अपने हाथ में ले लेता है तो याचिकाकर्ता को सत्र न्यायालय में भेजने का कोई कारण नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर भरोसा किया है।

बरून चंदर ठाकुर बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो और अन्य 4, चंदर भान सिंह बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, 2019 की अपराधिक अपील छवण 30 ;2015 के ैस्च अपराधिकद्ध छवण 1740 से बाहर उत्पन्न, 08. 01.2019 पर निर्णय लिया गया और फिर भी उत्तराखंड उच्च न्यायालय का एक और निर्णय मुबारिक और दूसरा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य 2018 ँब्च छवण 2059 दिनांक 02.11.2018 को निर्णय लिया।

याचिकाकर्ता के वकील ने मोहन लाल और अन्य बनाम प्रेम चन्द और अन्य मामले में दिए गए हिमाचल प्रदेष उच्च न्यायालय की

पूर्ण पी.के. फैसले पर भी भरोसा किया है। वाई. चंद्राषेखर राव और अन्य बनाम वाई.वी. कमला कुमारी और अन्य मामले में आंध्र प्रदेष उच्च न्यायालय की खंड पीठ का फैसला प्रस्तुत किया गया। बालन बनाम केरल राज्य के मामले में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ का फैसला प्रस्तुत किया गया।

(8) मामले में आगे बठने से पहले, इस न्यायालय ने इस बात पर विचार करना उचित समझा कि क्या सतर न्यायालय और उच्च न्यायालय को परदत्त समवर्ती षक्तियों को देखते हुए याचिकाकर्ता को उसी राहत के लिए सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए था या नहीं, और आगे यह कि भले ही याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरखाजा खटखटाया हो, तो क्या उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर विचारा करने के लिए बाध्य है या क्या इस न्यायालय को याचिकाकर्ता से अग्रिम जमानत लेने के पहली बार से सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की आवष्यकता है।

(9) भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय अनीता कुषवाहा और अन्य बनाम पुश्प सूडान और अन्य मामले में माना है कि न्याय तक पहुंच का अधिकार एक नागरिक का मौलिक

अधिकार है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को न्याय तक पहुंच के लिए उचित मंच प्रदान किए जाने चाहिए, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। 5 आकाषवाणी 1980 एच.पी. 36। 4 2018 ;5द्ध आर.सी.आर ;आपराधिकद्ध 49

6 1993 ब्तण्स्ण्श्रण 3508

7 2004 ब्तण्स्ण्श्रण 3427

8 2016 आकाषवाणी ;अनुसूचित जातिद्ध 3506 260 आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा 2019 ;1द्ध

तबनुसार, इनमें से कुछ मंच संवैधानिक न्यायालयों के रूप में प्रदान किए जात है, अर्थात भारत का सर्वोच्च न्यायालय और संबंधित राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। हालांकि मानवीय स्थितियों की बहु द्वेशपूर्णता के कारण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायिक रूप की उपलब्धता को प्रतिबंधित करना न तो उचित होगा और ना ही संभव होगा। इसलिए अन्य मंचों को कानूनों और अधिसूचनाओं जैसे उपयुक्त विधायी साधनों के माध्यम से प्रदान किया गया है। अतः न्यायाधिकारणों और नियामकों के अलावा न्यायालयों का एक पदानुक्रम स्थापित किया जाता है। इसी तरह संविधान के तहत परदत्त अधिकार विधायी और वैधानिक साधनों द्वारा फलीभूत होते हैं। मूल कानून नागरिक के अधिकारों को

परिभाशित करता है और परकिरयात्मक कानून अधिकारों की रक्षा के लिए उपचार की उपलब्धता सुनिष्चित करता है। जबकि एक अधिकार का दावा पात्रता के मामले के रूप में किया जा सकता है, उपचार का दावा नहीं किया जा सकता है, एक विषेश तरीके से अधिकार के मामले में रूप में, उपचार को विनियमित किया जा सकता है प्रतिबंधित किया जा सकता है या अनिष्चित काल तक उपलब्ध भी नहीं हो सकता है। इसके प्रतिबंधों और मापदंडों के अधीन उपचार का लभा उठाया जाना चाहिए। यहां तक कि निर्दिश्ट मापदंडों के भीतर भी न्यायनिर्णायक मंच जैसे न्यायालय द्वारा विवेक के उचित प्रयोग के माध्यम से विनियमन के अधीन उपचार का लाभ उठाया जाना है। यदि न्यायनिर्णायक मंच का विवेकाधिकार उल्लंघन नहीं करता है और व्यक्ति के लिए उपलब्ध उपचार को विनियमित करने का प्रावधान नहीं है तो इसका उपयोग उपचार के दायरे, व्यय और सीमा को सीमित करने के लिए किया जा सकता है। एक व्यक्ति को अनंत और अनियंत्रित उपचार का कोई अधिकार नहीं है। अतः न्यायालयों को साक्ष्य के कानून और प्रक्रिया के कानून के तहत किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध उपचार की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त षक्तियां दी गई है।

न्यायालय विनियमित उपचारों के साथ, न्याय के प्रषासन की प्रणाली का गठन करते है।

(10) आपराधिक न्याय के प्रषासन के लिए, कानून के तहत न्यायालयों का एक पूरी तरह से पदानुक्रम निर्धारित किया गया है। किसी विषेश राज्य के लिए, उच्च न्यायालय आपराधिक न्याय का सर्वोच्च न्यायालय है। इसके बाद, केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, जो विषेश षीर्श अधिकार क्षेत्र का न्यायालय है। यद्यपि अपरत्याषित आवष्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जिसमें एक व्यक्तिगत नागरिक को रखा जा सकता है कुछ पहलुओं पर उच्च न्यायालय के साथ–साथ सतर न्यायालय को समवर्ती षक्तियां दी गई हैं, हालांकि वहीं वैद्यानिक कानून कहीं भी यह आदेष नहीं देता है कि जहां षक्ति समवर्ती होने के लिए निर्धारित की गई है तो उच्च न्यायालय याचिका पर विचार करके अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए बाध्य है जो अपने समवर्ती अधिकर क्षेत्र के तहत दायर की गई है।

(11) इस स्तर पर धारा 438 ब्तण्च्ण्ब् में निहित प्रावधानों का संदर्भ होना उचित है निम्नानुसार पुनरूत्पादित

;राजबीर सेहरावत, जे.द्ध
438, गिरफतार व्यक्ति को जमानत देने के निर्देष ;1द्ध जहां किसी व्यक्ति के पास यह विष्वास करने का कारण है उिसे गैर जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है वह इस धारा के तहत निर्देष के लिए उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि ऐसी गिरफतारी की स्थिति में उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा और वह न्यायालय अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करने के बाद अर्थातः–
;पद्ध आरोप की प्रकृति और गंभीरता
;पपद्ध आवेदक का पूर्ववृत जिसमें यह तथ्य भी षामिल है कि क्या उसने पहले किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में न्यायालय द्वारा दोशी ठहरए जाने पर कारावास का सामना किया है ;पपपद्ध आवेदक के न्याय से भागने की संभावना और ;पअद्ध जहां आवेदक को इस तरह से गिरफ्तार करके उसे घायल करने या अपमानित करने के उदेष्य से आरोप लगाया गया है तो या तो आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दें या अग्रिम जमानत देने के लिए अंतिरम आदेष जारी करें।
बषर्ते कि, जहां उच्च न्यायालय या जैसे भी मामलो हो, सत्र न्यायालय ने इस उप–धारा के तहत कोई अंतरित आदेष पारित नहीं किया है या अग्रिम जमानत देने के लिए आवेदन

को खारिज कर दिया है वहां पुलिस स्टेषन के परभारी अधिकारी के लिए ऐसे आवेदन में पकडे गए आरोप के आधार पर आवेदक को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार होगा।

;1—कद्ध यहां न्यायालय उप—धारा ;1द्ध के तहत अंतिरम आदेष देता है वह तुरंत लोक अभियोजक और पुलिस अधीक्षक को ऐसे आदेष की एक प्रति के साथ कम से कम सात दिन का नोटिस देगा, ताकि लोक अभियोजक को सुनवाई का एक उचित अवसर दिया जा सके जब आवेदन की अदालत द्वारा अंतिम सुनवाई की जाएगी।

;1—बीद्ध अग्रिम जमानत मांगने वाले आवेदक की उपस्थिति आवेदन की अंतिम सुनवाई और अदालत द्वारा अंतिम आदेष पारित करने के समय अनिवार्य होगी यदि लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर, अदालत न्याय के हित में ऐसी स्थिति को आवष्यक सकती है। ;2द्ध जब उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय उप—धारा ;1द्ध के तहत कोई निर्देष देता है, तो इसमें विषेश मामलें के तथ्यों के आलोक में ऐसी दिषाओं में षर्तें, जो वह उचित समझे, जिनमें षामिल हैः—

;पद्ध एक षर्त कि व्यक्ति आवष्यकता पडने पर एक पुलिस अधिकार द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएगा।

;पपद्ध एक षर्त कि व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।

;गद्ध एक षर्त कि व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोडेगा।

;पअद्ध ऐसी अन्य षर्त जो धारा 437 की उप–धारा ;3द्ध के तहत लगाई जा सकती है, जैसे कि धारा के तहत जमानत दी गई हो।

;3द्ध यदि ऐसे व्यक्ति को बाद में ऐसे आरोप पर किसी पुलिस स्टेषन के प्रभारी अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के समय या किसी भी समय ऐसे अधिकारी की हिरासत में रहते हुए जमानत देने के लिए तैयार किया जाता है तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा और यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का संज्ञान लेते हुए निर्णय लेता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ

पहली बार में वारंट जारी किया जाना चाहिए तो वह उप–धारा ;1द्ध के तहत अपराध के निर्देष के अनुरूप जमानती वारंट जारी करेगा।

(12) खाली प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि इस धारा के तहत एक व्यक्ति को अदालत का दरवाजा खटखटाकर अपने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए उपाय प्रदान किया गया है। हालांकि याचिकाकर्ता के उस अधिकार की रक्षा करने की षक्ति न्यायालयों को समवर्ती रूप से प्रदान की जाती है। इस प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय को समवर्ती अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह धारा न्यायालय या तो आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर सकता है या अभियुक्त की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेष जारी कर सकता हैं, षब्दों का उपयोग करती है यदि संरक्षण आदेष पारित किया जाना है, तो न्यायालय को इस धारा में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखना होगा। यह कारक धारा 438 ब्तण्च्ब्ण् के तहत न्यायालयों की षक्ति को एक सीमित षक्ति के रूप में बनाते है। इसके अलावा इस धारा के तहत पारित आदेष का परिचालन पहलू

इस तरह के आदेष को विचारण न्यायालय या संबंधित मजिस्ट्रेट के स्थान के अधिक निकटता में रखता है। किसी भी मामले में, यह धारा किसी विषेश तरीके से षक्ति का प्रयोग करने के लिए एक बार संपर्क करने के बाद, न्यायालय को अधिदेष नहीं देती है। यह मामला पूरी तरह से अदालत पर छोड देता है।

(13) इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक नागरिक के रूप में अभियुक्त को जीवन और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है हालांकि जीवन और स्वतंत्रता के उस अधिकार को कानून द्व ारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार बहुत अच्छी तरह से कम किया जा सकता है। आपराधिक न्याय प्रषासन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अभियुक्त के जीवन और स्वत्रंता को कम करने के लिए सामान्य प्रक्रिया ब्तण्च्ब्ण् निर्धारित करती है कि जांच अधिकारी किसी अभियुक्त को वारंट के बिना और अदालत की सहायताध्हस्तक्षेप के बिना भी गिरफ्तार कर सकता है। हालांकि यह सुनिचित करने के लिए कि किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से परेषान नहीं किया जाता है, कम से कम उन मामलों में जहां परिस्थितियों

मुख्य रूप से अभियुक्त की पूर्व–दृश्टि निर्दोशता की ओर ले जा रही है न्यायालयों को धारा 438 ब्त्ण्च्ण्ब् के तहत विषेश ौर असाधारण षक्ति दी गई है। गिरफतारी से पहले जमानत देने की यह वैधानिक षक्ति इतनी असाधारण है कि यह देष के सभी हिस्सों में भी उपलब्ध नहीं है और यहां तक कि पूरी देष में विषेश कानूनों के तहत कुछ अपराध होत है। इसलिए अग्रिम जमानत पाने का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। धारा 438 ब्त्ण्च्ण् का प्रावधान अभियुक्त को केवल एक उपाय प्रदान करता है और स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा को न्यायालय द्वारा तय करने के लिए छोड देता है।

(14) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बरूण चंदर ठाकुर के मामले उपरोक्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलें पर भरोसा किया है जिसमें पैरा संख्या 9 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की हैः–

श्9. इसके अलावा, हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि इस घटना को इलेक्टोनिक और प्रिन्ट दोनों मीडिया में व्यापक कवरेज मिली थी। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि मीडिया द्वारा एक परीक्षण किया गया था इसलिए जब निजी प्रतिविादीगण ने संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत देने के लिए सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा

खटखटाया है, वह भी जब उच्च न्यायालय के पास समवर्ती अधिकार क्षेत्र है तो हम निजी प्रतिवादीगण की कार्यवाही में कोई गलती नहीं पा सकते है।श

(15) हालांकि इस न्यायालय ने पाया कि सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय इस बिंदु पर एक पूर्ववर्ती नहीं है कि एक बार उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय के साथ एक समवर्ती क्षेत्राधिकार मौजूदा होने के बाद, उच्च न्यायालय सभी मामलों में जहां संपर्क किया जाता है, अभियुक्त को सत्र न्यायालय से संपर्क करने के लिए कहने के बजाय अपनी षक्ति का प्रयोग करेगा याचिकाकर्ता के वकील द्वारा भरोसा किए गए फैसले के एक खाली अवलोकन से पता चलता है कि उस विषेश मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केवल उस षक्ति को बरकरार रखा था जिसका प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही किया जा चुका है, उस मामले के विषेश तथ्यों और परस्थितियों में। उस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा एक विषिश्ट कारण दिया गया था जिसे 264 माना गया था।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

2019 ;1द्ध

उच्च न्यायालय द्वारा धारा 438 ब्त्ण्च्ण्ब् के तहत अधिकार क्षेत्र को लागू करने और प्रयोग करने के लिये पर्याप्त है।

(16) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने चंदर भान सिंह के मामले उपर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है। याचिकाकर्ता के वकील ने इस फैसले के अनुच्छेउ 7 और 10 पर भरोसा किया है, यह तर्क देने के लिए कि उस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय को मामले का निर्णय लेने का निर्देष दिया गया, अपने आदेष को दरकिनार करते हुए उस मामले में याचिकाकर्ता को सत्र न्यायालय का रूख करने का निर्देष दिया था। इस फैसले के एक खाली अवलोकन से यह भी पता चलता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वंय उच्च न्यायालय से मामले का फैसला करने के लिए कहा था क्योंकि मामला पहले से ही लगभग 2 साल से उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था और इसने उनके दिमाग को भी लागू यिा था। हालांकि समवर्ती अधिकार क्षेत्र के प्रष्न पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विषेश रूप से इस प्रषन को बिना निर्णय लिए खुला छोड दिया था। निर्णय का पैरा 10 इस संबंध में काफी स्पश्ट है। इस प्रकार इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी तरह से यह निर्धारित नहीं किया है कि समवर्ती क्षेत्राधिकार के मामले में उच्च न्यायालय गुण–दोश के आधार पर मामले पर विचार करने और अंत में

निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा। यदि व्यक्ति उससे संपर्क करता है तो उसे निचले स्तर पर सक्षम समवर्ती क्षेत्राधिकार के न्यायालय में जाने की आवष्यकता के बिना।

(17) याचिकाकर्ता के वकील ने आगे मुबारिक में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले और दूसरे के मामले उपर पर भरोसा किया है, जिसमें आगे मोहन लाल के मामले उपरोक्त में हिमाचल प्रदेष उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया है और कहा है कि यदि याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है तो उसे उसी पर विचार करना चाहिए और विषेश रूप से पैरा 16 में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः—

श्उपरोक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय के पास ब्तण्च्ण्ब्ण की धारा 438 के तहत समवर्ती अधिकार क्षेत्र है। यह अभियुक्त पर है कि वह मंच का चयन करे और इसे ब्तण्च्ण्ब् की धारा 438 के प्रावधान को संकीर्ण रूप से समझकर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता हैश

(18) हालांकि, यह न्यायालय खुद को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंड पीठ के साथ सम्मानजनक असहमति में

पाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र समवर्ती है। हालांकि यदि उच्च न्यायालय अभियुक्त से पहली बार में सत्र न्यायाधीष के न्यायालय से संपर्क करने की अपेक्षा करता है तो वह किसी भी धारा से धारा 438 ब्तण्च्ण्ब् की व्याख्या के दायरे को प्रतिबंधित या संकुचित नहीं करता है।

अग्रिम जमानत देना या अस्वीकार करना, फिर भी अभियुक्त के मामले पर उसी दायरे में विचारा करना होगा जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया होगा और विचार के मानदंड अभी भी वही होंगे। बल्कि अभियुक्त को सत्र न्यायालय में भेजकर, उच्च न्यायालय धारा 438 ब्तण्च्ण्ब् के खर्च को बढाएगा। अभियुक्त के लिए क्योंकि यदि अभियुक्त द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष दायर अग्रिम जमानत खारिज कर दी जाती है तो उसके पास उच्च न्यायालय जाने का भी उपाय होगा। इसके विपरीत यदि स्वंय उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत खारिज कर दी जाती हैतो उसके पास अदालतों के पदानुक्रम में, उसी कार्यवाही के लिए सत्र न्यायालय में पीछे जाने की कोई

गुजांइष नहीं है। इसलिए उत्तराखंड के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या, धारा 438 ब्तण्च्ब्ण के तहत अभियुक्त को उपलब्ध कराए गए उपचार के दायरे को कम करती है और इसे केवल आधा कर देती है।

(19) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मोहन लाल के मामले उपरोक्त में हिमाचल प्रदेष उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर फिर से जोर दिया है जो अंततः निम्नानुसार हैः–

श15. पूर्ण पीठ को भेजे गए प्रष्नों के हमारे उत्तर यह है कि व्यक्ति पहले सत्र न्यायाधीष के अधिकार क्षेत्र को लागू किए बिना सीधे उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण या अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते है।श

(20) तथापित इस निर्णय को पढने ये यह भी स्पश्ट होता है कि माननीय पूर्ण पीठ ने पूर्ववर्ती पैरा में स्पश्ट रूप से कहा है कि यह सच है कि जहां एक से अधिक न्यायालयों को समवर्ती अधिकारिता प्रदान की गई थी, वहां व्यवहार के मामले मे निम्न न्यायालय से पहले संपर्क करने की अपेक्षा की गई थी। हालांकि इसके बाद केवल इस आधार पर कि समवर्ती क्षेत्राधिकार कानून द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन कोई और न्यायषास्त्रीय आधार प्रस्तुत किए बिना, माननीय पूर्णपीठ ने निर्णय दिया है कि यदि अभियुक्त को पहले सत्र

न्यायालय में जाने की आवष्यकता है तो इसके परिणामस्वरूप उसके अधिकार में कटौती हो सकती है। यह न्यायालय इस बात का कोई कारण नहीं देखता है कि यदि अभियुक्त को पहले सत्र न्यायालय में जाने की आवष्यकता है तो इसके परिणामस्वरूप उसके अधिकार मे काटौती हो सकती है। यह न्यायालय इस बात का कोई कारण नहीं देखता है कि यदि अभियुक्त को निचले स्तर पर समवर्ती क्षेत्राधिकार की सक्षम अदालत में जाने के लिए कहा जाता है तो अग्रिम जमानत प्राप्त करने के उसके अधिकार को कैसे कम किया जाएगा। अग्रिम जमानत पर निर्णय लेने के लिए सत्र न्यायालय द्वारा विचार की जाने वाली षर्तें अभी भी वहीं होगी जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया होगा। अतः यह स्पश्ट है कि पूर्ण पीठ के इस निर्णय में एक न्यायषास्त्रीय भरांति है, क्योंकि यह उपाय को अधिकार के साथ भरमित करता है क्या ब्तण्च्ण्ब्ण प्रदान करता है। समवर्ती अधिकारिता के माध्यम से न्यायालय को स्थानांतरित करने का उपाय है और विषेश तरीके से निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। जैसे की उपर देखा गया है कि अभियुक्त का अधिकार केवल न्याय पहुंचने का अधिकार है।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

जो उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान किया गया है, न कि किसी विषेश न्यायालय से वह न्याय प्राप्त करने का अधिकार धारा 438 केवल एक उपाय है यहां तक कि एक अत्यधिक सीमित उपाय भी है। यद्यपि यह उपाय उसे न्यायालयों के पदानुकरम के दो स्तरों पर उपलब्ध कराया गया है तथापि इस न्यायालय को न्यायालयों के अदानुक्रम की अनदेखी करने के लिए अभियुक्त पर पूर्ण विकल्प छोडने का कोई कारण नहीं मिलता है। न्यायिक पदानुक्रम की औचित्य की मांग है कि जब तक कि कोई सम्मोहक कारण न हो, वस्तुत और प्रभावी रूप से अभियुक्त को नीचे दिये गये न्यायालय के समक्ष उपचार का लाभ उठाने स वचित या अक्षम करना, न्यायालयों के पदानुक्रम का सम्मान किया जाना चाहिए। समवर्ती अधिकारिता के मामले में यदि उच्च न्यायालय सीध और इसके विपरीत याचिका पर विचार नहीं करता है, तो अभियुक्त को समवर्ती षक्ति रखने वाले पहले उदाहरण के अधिकार क्षेत्र के सक्षम न्यायालय में जाने के लिये कहे जो किसी भी तरह से न्याय तक पहुंच के उसके अधिकार से इंकार नहीं होगा। किसी भी मामले में उसे न्याय तक पहुंच का अपना अधिकार अक्षुण्ण रहेगा।

(21) वकील ने आगे वाई. चेंदरषेखर राव के मामले उपरोक्त पर भरोसा किया। आधार परदेष का उच्च न्यायालय मुख्य रूप से इस आधार पर आगे बढा है कि अग्रिम जमानत लेने के लिये अभियुक्त को सीधे उच्च न्याालय जाने से इंकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। हालांकि यह न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के विभिनन निर्णयों को देखते हुए इसे संवैधानिक रूप से वैध कारण नहीं मानता है। जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, निर्षिचित रूप से अभियुक्त को न्याय तक पहुंच का मौलिक अधिकार है, लेकिन धारा 438 ब्तण्च्ब्ब के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार अपने आप में कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यह केवल एक वैधानिक उपाय है, जो देष के कुछ हिस्सों में सामान्य दंडात्मक कानून के तहत अपराधों के लिए भी उपलब्ध नहीं है और कुछ विषेश कानूनों के तहत अपराधों के लिए देष में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह न्यायालय माननीय आधार परदेष उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत नहीं है।
वाई. चेंदरषेखर राव के मामले में अदालत उपर।

(22) इसके विपरीत यह न्यायालय षिकायतकर्ता के वकील द्वारा उद्धत निर्णयों के साथ खुद को सहमत पाता है जो इन सभी

निर्णयों के माध्यम से चलने वाली एक सामान्य लकीर है कि लेकिन कुछ विषेश अक्षमक रने वाले कारणों से समवर्ती अधिकार क्षेत्र के मामले में भी, अभियुक्त को पहली बार न्यायालय जाने की आवष्यकता होनी चाहिए। षिकायतकर्ता के वकील द्वारा भरोसा किए गए इन सभी फैसलों में स्पश्ट रूप से कहा गया है कि जब तक कोई असाधारण या असाधारण परिस्थिति नहीं होती है जो आरोपी को अग्रिम जमानत लेने के लिए सीधे उच्च न्यायालय में जाने के लिए मजबूर करती है, तब तक उसे सत्र न्यायाधीष के न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। यह न्यायालय इन निर्णयों को न्यायालयों के पदानुक्रम का सम्मान करने के न्यायिक औचित्य के अनुरूप पाता है।

नवीन कुमार बनाम हरियाणा राज्य

267

;राजबीर सेहरावत, जे.द्ध

धारा 438 किसी व्यक्ति को कोई मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करती है। यह केवल अभियुक्त का अग्रिम जमानत देने के लिए अपने मामले पर विचार करने क लिए इस धारा में दिए गए न्यायालयों से बाहर जाने के लिए उपचार प्रदान करने के प्रावधान को सक्षम कर रहा है। हालांकि उसे किसी विषेश न्यायालय से गुण–दोश के आधार पर आदेष मांगने

का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है। इसलिए यदि स्वंय निर्णय लेने के बजाय, उच्च न्यायालय अभियुक्त से पहले सत्र न्यायालय जाने की अपेक्षा करता है तो याचिकाकर्ता के किसी भी अाकिार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत, यदि उच्च न्यायालय स्वंय मामले पर विचार करता है और अभियुक्त को अग्रिम जमानत को अस्वीकार करने का निर्णय लेता है तो वह अभियुक्त को कानूनी मंच से संपर्क करने के लिए एक अतिरिक्त अवसर से वंचित कर देगा, जो उसे उच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध होता, यदि वह पहले सत्र न्यायालय जाता।

(23) वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा अग्रिम जमानत के लिए सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बताए गए कारण यह है कि याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेष राज्य का निवासी है, उसके परिवार के सभी पुरूश सदस्य मामले में षामिल रहे है और षिकायतकर्ता याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कराने के लिए पुलिस के साथ सांठगांठ कर रहा है इसलिए वकील ने आषंका व्यक्त की है कि यदि याचिकाकर्ता ने करनाल में सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि इस न्यायालय ने पाया कि

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील के इस तर्क का इस पहले से कोई लेना–देना नहीं है कि इस न्यायालय की धारा 438 ब्तण्च्ण्ब्ण के तहत षक्तियों का प्रयोग करने की आवष्यकता है या चित होगा। इनमें से कोई भी कारक अक्षमक करने वाले कारक नहीं है ताकि याचिकाकर्ता को पहली बार में सत्र न्यायालय से संपर्क नहीं करने के लिए मजबूर किया जा सके और इसलिए सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सके। याचिकाकता के वकील द्वारा करनाल में सत्र न्यायालय का दरवाजा न खटने के कारणों के रूप में जिन कारकों का उल्लेख किया गया है, वे उस स्थिति में भी बहुत अधिक लागू होंगे, जब वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है इसलिए इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के वकील द्वारा पहली बार में सत्र न्यायालय का संपर्क नहीं करने के लिए दिया गया कारण सत्र न्यायालय की सामान्य समवर्ती क्षेत्राधिकार को बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं लगता है।

(24) याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा है कि वर्तमान एफ. आई.आर. याचिकाकर्ता द्वारा षिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के साथ–साथ षिकायकर्ता के चाचा के खिलाफ पहले से दर्ज की गई षिकायत का जवाबी विस्फोट

है। उन षिकायतों के आधार पर, इस अदालत द्वारा पारित आदेषों के माध्यम से षिकायकर्ता पक्ष के खिलाफ पहले ही दो प्राथमिकियां दर्ज की जा चुकी है।

(25) हालांकि इस न्यायालय ने पाया कि इस तर्क का भी केवल मामले के गुण दोश से कुछ लेना–देना है।
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा
2019 ;1द्ध
यहां तक कि वर्तमान याचिका पर विचार करने के उदेष्य से प्रवेष नहीं कर रहा है।

(26) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय धारा 438 ब्त्ण्च्ब्ण् के तहत अपनी समवर्ती अधिकारिता का प्रयोग करने और मामले के गुण दोश्ज्ञ पर कोई आदेष पारित करने के लिए कोई असाधारण या विषेश परिस्थितियां नहीं पाता है।

(27) याचिकाकर्ता, यदि वह उचित समझता है तो उसी राहत के लिए सत्र न्यायाधीष के न्यायालय से संपर्क कर सकता है।

(28) उपरोक्त टिप्पणीयों के साथ, वर्तमान याचिका खारिज कर दी जाती है।

मनप्रीत साहनी

अस्वीकरणः— स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक ओर अधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अगेंजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यालय के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अस्वीकरणः— स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक ओर अधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अगेंजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यालय के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक

विक्रांत